(6)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– अर्पिता सोनी (आर.ए.एस.)

दायरा दिनांक : 14.02.2020

निगरानी संख्या : 8/2020
GCMS NO. : 2020/00008

मनीराम पुत्र श्री उदमीराम जाति जाट साकिन किशनपुरा नई आबादी तहसील सूरतगढ़

निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्रीमान अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति, पंचायत समिति सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. विकास अधिकारी पंचायत समिति सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
3. सरपंच, ग्राम पंचायत राजपुरा पीपेरन तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
4. काशीराम पुत्र श्री उदमीराम जाति जाट साकिन किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित–
श्री राजवीर भादू, अधिवक्ता निगरानीकर्ता

दिनांक : 20.09.2023

:: निर्णय ::

निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता ने प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति, पंचायत समिति सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 02.12.2019 (19.12.2019) के विरूद्व यह निगरानी पेश कर निवेदन किया निगरानीकर्ता के नाम किशनपुरा नई आबादी में प्लाट संख्या 457, भूखण्ड बुक संख्या 217 पट्टा संख्या 06 दिनांक 26.06.2016 को सरपंच ग्राम पंचायत राजपुरा पीपेरन द्वारा जारी किया गया, जिसके विरूद्व गैरनिगरानीकर्ता सं. 4 ने दिनांक 27.01.2017 को अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति, पंचायत समिति सूरतगढ में अपील प्रस्तुत की। गैरनिगरानीकर्ता सं. 4 द्वारा उक्त अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई एवं अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद पर निर्णय किये बिना ही अन्तिम फैसला कर दिया गया, जबकि अपील का निर्णय करने से पूर्व मियाद पर निर्णय किया जाना अतिआवश्यक है इसके पश्चात ही अपील पर आगामी कार्यवाही की जा सकती है, अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों को नजरअन्दाज कर निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अपील में जैर निगरानी प्रश्नगत पट्टे में निगरानीकर्ता को अपना पक्ष रखने के लिए किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना एक पक्षीय निर्णय पारित किया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। निगरानीकर्ता को किशनपुरा में आवासीय अहाता का पट्टा ग्राम पंचायत राजपुरा पीपेरन द्वारा पूर्व प्रक्रिया अपनाते हुए गठित कमेटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर सार्वजकिक सूचना करने के पश्चात किसी प्रकार की कोई आपत्ति, ग्राम पंचायत के समक्ष नहीं आने के बाद निगरानीकर्ता के नाम आवासीय अहाता का पट्टा संख्या 06 जारी किया गया, जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने गैरनिगरानीकर्ता की अपील में अपनी मनमर्जी मुताबिक प्रक्रिया अपनाते हुए चलायी गई जिसके तहत दिनांक 27.01.2017 को अपील प्रस्तुत होने के प्श्चात लगभग एक वर्ष पेण्डिंग रही और दिनांक 12.01.2018 को दर्ज करने की कार्यवाही करने के बाद दिनांक 20.03.18 को ग्राम पंचायत से मूल रिकार्ड तलब के आदेश जारी हुये, इसके प्श्चात अपील पेण्डिंग कर दी गई और फिर अचानक एक साल छः माह बाद पुनः पेशी में लेकर जांच कमेटी का गठन किया जाकर दिनांक 02.12.2019 को यह आलौच्य निर्णय पारित किया गया। गैरनिगरानीकर्ता सं. 4 ने अधीनस्थ न्यायालय में उक्त अपील विड्रो किये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आपसी मनमुटाव के कारण उक्त अपील प्रस्तुत की गई, इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अपील पर कार्यवाही करते हुए प्लाटों का मौका निरीक्षण किये बिना, पट्टो संबंधित पत्रावली तलब किये बिना तथा पक्षकरान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना, पक्षकारान की पीठ के पीछे निर्णय पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतो की पालना किये बिना पारित किया होने से निरस्त किया जावे।

निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। निगरानीकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री राजवीर भादू हाजिर हुए। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 ता 04 बावजूद पर्याप्त सूचना के अनुपस्थित रहे। अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने [illegible] प्रस्तुत किये जो शामिल मिसल किये गये।

बहस सुनी गई। सर्वप्रथम अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने [illegible] तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि गैरनिगरानीकर्ता ने अधीनस्थ न्यायालय में निगरानीकर्ता [illegible] जारी पट्टा के विरूद्व पंचायतराज अधिनियंम की धारा 61(1) के अधीन या तदधीन बना[illegible] किसी नियम या उपविधि नियम के

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2024.01.23 17:13:23 IST
Reason: SelfAttested

अर्पिता
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

अधीन किये गए या जारी किये गए पंचायत के किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश या निर्देश की अपील अधिकारिता रखने वाली पंचायत समिति को ऐसे आदेश या निर्देश की तारीख से 30 दिन के भीतर–भीतर कर सकेगा जिसमे से उसकी प्रति अभिप्राप्त करने के लिये अध्यपेक्षित समय अपवर्जित होगा। धारा 61(3) में निर्दिष्ट स्थायी समिति व्यथित पंचायत और ऐसे आदेश या निर्देश से जिसके विरूद्ध अपील की गई है, प्रभावित किसी भी अन्य व्यक्ति की सुनवाई के पश्चात ऐसे आदेश या निर्देश को परिवर्तित अपास्त या पुष्ट कर सकेगी या अपील फाईल करने वाले व्यक्ति को या उससे खर्चा भी दिलवा सकेगी।

अधीनस्थ न्यायालय ने गैरनिगरानीकर्ता नं. 4 की अपील दर्ज करने के पश्चात आज्ञात्मक प्रावधान होने के बावजूद पंचायत अधि0 सीपीसी के प्रावधान एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की अवहेलना कर अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर एवं निगरानीकर्ता को सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश पारित किया जो निरस्ती योग्य है इसके पक्ष में अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने न्यायिक दृष्टान्त 2014 RRD 715 से 727 व 2015 RBJ 559 प्रस्तुत किये। अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने आगे कथन किया कि गैर निगरानीकर्ता ने निगरानीकर्ता को जारी पटटा के विरूद्ध अपील छः माह पश्चात दिनांक 27.01.2017 को प्रस्तुत की जबकि पंचायत राज अधि0 के तहत आदेश या निदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर अपील होनी चाहिए, जिस पर गैरनिगरानीकर्ता ने मियाद अधि0 के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने न्यायिक दृष्टान्त 2007 RBJ 119 से 123, 2008 RBJ 526 से 531 व 721 से 725 प्रस्तुत कर कथन किया अधीनस्थ न्यायालय ने अपील में संलग्न मियाद प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने के पश्चात मैरिट पर निर्णय किया जाना चाहिए था। परन्तु मियाद प्रा0 पत्र किसी प्रकार निर्णय न कर कानून के प्रावधानों के विरूद्ध निर्णय पारित किया गया जबकि आज्ञात्मक प्रावधान है कि अपील के साथ संलग्न मियाद का निस्तारण होने के पश्चात ही निर्णय किया जा सकता है।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने बहस में आगे कथन किया कि गैर निगरानीकर्ता नं. 4 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील को वापिस (विड्रो) करने हेतु प्रस्तुत प्रा0 पत्र को अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली में शामिल करते हुए बिना कोई निर्णय किये सीधा अपने कयासों के आधार पर आलौच्य आदेश पारित कर दिया जबकि सीपीसी के आदेश 23 नियम 2के तहत विड्रो का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर उक्त जैरकार कार्यवाही उसी स्तर पर निरस्त की जाती है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय पारित किया इस संबंध में अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने न्यायिक दृष्टान्त 1992 RRD 117 का हवाला देते हुए निवेदन किया कि क्षेत्रविहीन आदेश को किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है। अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने आगे कथन कथन किया कि गैरनिगरानीकर्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील में जैर अपीलाधीन पट्‌टा सार्वजनिक भूमि एवं रास्ता पर होना बताया परन्तु इस संबंध में कोई साक्ष्य/दस्तावेज अपील के साथ प्रस्तुत नहीं किया एवं गैरनिगरानीकर्ता सं. 4 कांशीराम ने सभी पट्‌टों की एक ही अपील प्रस्तुत की जबकि सभी पट्‌टों की अलग–अलग अपील प्रस्तुत होनी चाहिए। अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने न्यायिक दृष्टांत 1994 RRD 85 एवं 1983 RRD 811 का हवाला देकर निवेदन किया कि दो आदेशों की अपील एक नहीं की जा सकती अतः कानून के प्रावधानों के मुताबिक अपील नहीं होने तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश, विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता की बहस पर मनन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो व पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। जिसके आलोक से प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व निगरानीकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया। अधीनसथ न्यायालय ने अपील में संलग्न मियाद प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने के पश्चात मैरिट पर निर्णय किया जाना चाहिए था, परन्तु मियाद प्रा0 पत्र पर किसी प्रकार निर्णय किये बिना, बिना कोई साक्ष्य/दस्तावेज, गैरनिगरानीकर्ता के विड्रो प्रार्थना–पत्र पर बिना कोई निर्णय किये सीधा अपने कयासों के आधार पर कानून के प्रावधानों के विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है, साथ ही पंचायतीराज अधिनियम की धारा 61(3) का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है, जिसमें प्रभावित पक्ष को सुनवाई का अवसर देने का निर्देश है। अतः न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति, पंचायत समिति, सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 02.12.2019 (19.12.2019) त्रुटिपूर्ण होने से हम निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार करना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर प्रशासन एवं स्थायी स्थापना समिति, पंचायत समिति सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 02.12.2019 (19.12.2019) (जिसके द्वारा निगरानीकर्ता के नाम से किशनपुरा नई आबादी में प्लाट संख्या 457, भूखण्ड बुक संख्या 217 पट्‌टा संख्या 06 पैमूदा साईज 2500 वर्गफुट दिनांक 26.06.2016 निरस्त किया गया) एतद्‌द्वारा अपास्त किया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2024.01.23 17:13:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner